न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 197/2021

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
अमरीदेवी पत्नी राणाराम सुथार निवासी खत्रियों का निचला बास, तहसील व जिला बाडमेर		1. सरपंच ग्राम पंचायत जालीपा जरिये सरपंच तहसील व जिला बाडमेर 2. गोसाईराम पुत्र मूलाराम 3. देवाराम पुत्र मूलाराम (जाति जाट, निवासी हापों की ढाणी, हाल निवासी खत्रियों का निचला बास, तहसील व जिला बाडमेर)

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बाडमेर दिनांक 30.03.2021 राजस्व प्रथम अपील संख्या 01/2017 अनवान अमरीदेवी बनाम सरपंच ग्रा0पं0 जालीपा वगैरा

उपस्थित–
1. श्री सुगनमल परिहार, वकील अपीलाण्ट
2. श्री लाधूराम पूनिया वकील रेस्पो0 2 व 3
3. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 02.09.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व अपील संख्या 01/2017 अमरी देवी बनाम सरपंच ग्रा0पं0 जालीपा वगैरा में पारित आदेश दिनांक 30.03.21 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील बाडमेर स्थित ग्राम हापो की ढाणी के खसरा नं0 32 व 12 की भूमि अमरीदेवी बेवा राणा 1/2 व प्रभु वल्द पाता 1/2 कौम सुथार सा0देह खातेदार के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। जिसका नामान्तरकरण संख्या 44 बेचान तथा इकरारनामा के तहत गोसाई राम व देवाराम पि0 मूलाराम सा0देह खातेदार के नाम सरपंच ग्राम पंचायत जालीपा द्वारा दिनांक 11.06.1976 को स्वीकृत किया गया। उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलांट–अमरीदेवी द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत राजस्व प्रथम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील सं0 01/2017 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2021 द्वारा खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि ग्राम हापो की ढाणी के खसरा नं0 32 व 12 की भूमि अमरीदेवी बेवा राणा 1/2 व प्रभु वल्द पाता 1/2 कौम सुथार सा0देह खातेदार के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। जिसका नामान्तरकरण संख्या 44 बेचान तथा इकरारनामा के तहत गोसाई राम व देवाराम पि0 मूलाराम सा0देह खातेदार के नाम सरपंच ग्राम पंचायत जालीपा द्वारा दिनांक 11.06.76 स्वीकृत किया गया। उक्त ना0क0 की स्वीकृति का ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आधार नही था। इसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 4.8.72 के जिस बेचाननामें का उल्लेख किया है वह बेचाननामा अपीलार्थी अथवा उसके पति द्वारा निष्पादित नही किया गया, जो बेचाननामें के अवलोकन से स्पष्ट है। इसी कारण पूर्व में इस बेचान के आधार पर भरा गया ना0क0 खारिज किया गया था। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.74 के जिस दस्तावेज का उल्लेख किया है, वैसा कोई दस्तावेज अपीलार्थी अथवा उसके पति द्वारा कभी निष्पादित नही किया गया और न ही ऐसे दस्तावेज के आधार पर ना0क0 की कार्यवाही की जा सकती है। ग्राम पंचायत एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर कोई गौर नही किया गया। विधिअनुसार खातेदारी अधिकारों के हस्तांतरण के बिना कोई ना0क0 स्वीकृत नही किया जा सकता है। हस्तगत मामलें में पत्रावली पर खातेदारी अधिकारों का हस्तांतरण बाबत कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है। इन परिस्थितियों में ना0क0 स्वीकृति का कोई आधार ही नही था। इस माामले में ऐसा कोई दस्तावेज निष्पादित ही नही हुआ, जिसका निरस्तीकरण अपीलार्थी द्वारा करवाया जाना जरूरी हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन कानूनी बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए, महज कयासी दलीलों पर अपीलाधीन

आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश एवं अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 44 निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 2 व 3 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील गलत आधारो पर प्रस्तुत की गई है। वस्तुतः ग्राम हापों की ढाणी के खसरा नं0 32 व 12 की कुल रकबा भूमि 120.10 बीघा रेस्पो0सं0 2 व 3 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 4.8.72 को क्रय की गई है। जिसके आधार पर ना0क0सं0 31 पारित करने हेतु ग्रा0पं0 के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत किया गया था। जो अपीलकर्ता की आपत्ति पर खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने हेतु जरिये ना0क0सं0 39 पारित किया गया। इसके बाद अपीलांट द्वारा रेस्पो0सं0 2 व 3 के पक्ष में ईकारारनामा निष्पादित करते हुए यह अभिकथन किया कि ''वादग्रस्त खसरान की भूमि प्रभू व राणा वल्द पाता के खातेदारी की है। मेरा पति राणा का देहान्त हो गया है एवं हमारे कोई लड़का नही है, जिससे मेरे पति के हिस्से की मै मालिक हूँ। प्रभु मेरे जेठ है, जिन्होंने मेरी रजामंदी एवं सहमति से उक्त खसरान की भूमि बेचान आपके हक में किया गया था, उसमें मेरे हिस्से की राशि मुझे सौप दी थी। ना0क0 के समय मेरी जरूरत होने पर मै अपने बयान आपके हक में कर दूंगी। मै इसमें सहमत हूँ एवं यह बेचान मुझे मान्य है।'' उक्त इकरारनामा निष्पादित होने के पश्चात रेस्पो0सं0 2 व 3 द्वारा पुनः ग्राम पंचायत में अपने नाम उक्त खसरान की भूमि दर्ज करवाने हेतु विक्रय पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया। जिस पर ग्रा0पं0 द्वारा ना0क0सं0 44 रेस्पो0सं0 2 व 3 के नाम स्वीकृत किया गया। इस प्रकार अपीलांट की वादग्रस्त खसरान के हिस्से के प्रतिफल की राशि प्राप्त करने के पश्चात रेस्पो0सं0 2 व 3 के पक्ष में पंजीबद्ध विक्रय पत्र दि0 4.8.72 पर सहमति एवं रजामंदी प्रस्तुत करने के पर ना0क0सं0 44 पारित किया गया, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही हुई है। ऐवीडेन्स एक्ट की धारा 114 के तहत अपीलांट द्वारा किये गये अभिकथनों से पांबद है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा 50 वर्षो के पश्चात अपीलांट यह नही कह सकती है कि विवादित ना0क0सं0 44 का उसको तत्समय ज्ञान नही रहा। वादग्रस्त खसरान की भूमि पर रेस्पो0सं0 2 व 3 का पिछले 50 वर्षो से भौतिक कब्जा चला आ रहा है तथा उनकी व उनके पुत्रों की रहवासीय ढाणियां, टांके व चार बाडे इत्यादि बने हुए है। इस प्रकार

एडवर्श पजेशन के आधार पर भी वह उक्त वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार बन चुके है व काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के तहत अपीलांट के खातेदारी अधिकार स्वतः समाप्त हो चुके है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से निरस्त फरमाने तथा अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का मुख्यतः यह विवेचन "कि नामान्तरकरण सं0 44 दिनांक 11.06.1976 पारित करने से पूर्व राशि 3/–रूपये के स्टाम्प पर अंकित इकरारनामा दिनांक 20.11.74 में विकय पत्र दिनांक 4.8.72 पर अपीलांट द्वारा अपनी सहमति प्रकट करते हुए ना0क0 पारित करने पर अनापत्ति प्रकट की गई तथा यह भी अंकित किया कि उसके हिस्से के प्रतिफल की राशि उसे प्राप्त हो गई है। उक्त इकरारनामें के आधार पर पारित ना0क0 पर संदेह करने का कोई ठोस कारण पत्रावली पर उपलब्ध नही है। रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 4.8.72 वर्तमान में प्रभाव में है, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौति देने अथवा निरस्त करने का कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। रजिस्टर्ड विकय पत्र को इस अपील के माध्यम से निष्प्रभावी घोषित नही किया जा सकता है। उपर्युक्त विवेचनोपरांत अपील अपीलांट खारिज की जाती है।" इससे यह न्यायालय भी सहमत है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तदनुसार खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व अपील संख्या 01/2017 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2021 न्यायोचित एवं विधिसम्मतः होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक02 सितम्बर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

02.09.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर